आदेश पत्रिका निरंतर

प्र.क.163 / 2020

13.03.2023

राज्य द्वारा एडीपीपी।

अभियुक्तगण सहित श्री सी.एल. पटेल अअधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण राजीनामा आवेदन पर तर्क / आदेश हेतु नियत है।

मामले के आहत शेखर व सौदान व अभियुक्तगण मदनलाल, राजेन्द्र, विनोद व धर्मेन्द्र की ओर से एक आवेदन–पत्र राजीनामा करने बाबद् आवेदन अंतर्गत धारा 320–1, 320–2 दण्ड प्रक्रिया संहिता का दिनांक 13.02.2023 को प्रस्तुत कर राजीनामा की अनुमति बाबत् निवेदन किया।

आहत शेखर व सौदान की पहचान अधिवक्ता श्री आनंद वर्मा़ द्वारा की गई तथा उभयपक्षों द्वारा राजीनामा करना स्वीकार किया। उभयपक्ष के संबंध मधुर हो चुके हैं। उभयपक्ष अपना मामला आगे नहीं चलाना चाहते है।

अभियुक्तगण के विरूद्ध अंतर्गत धारा–**294, 323 सहपठित धारा 34, एवं 506 भारतीय दंड संहिता** के अधीन आरोप हैं। उक्त सभी आरोपित धारायें शमनीय प्रकृति की हैं। अभिलेख पर अभियुक्तगण की कोई पूर्व दोषसिद्ध नहीं है। अभियोगी व आहतगण अपराध का शमन करने हेतु सक्षम पक्षकार है।

अतः राजीनामा आवेदन स्वीकार कर अभियुक्तगण मदनलाल, राजेन्द्र, विनोद व धर्मेन्द्र को धारा 294, 323 सहपठित धारा 34 एवं 506 भाग–2 भादसं. के आरोप से दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

अभियुक्तगण का पृथक से धारा 428 दप्रसं. के अंतर्गत प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे।

मामले में जब्तशुदा तीन पुराने बांस के डण्डे व एक लोहे का सरिया मूल्यहीन होने से अपीलावधि पश्चात् नष्ट की जावे तथा नियम एवं आदेश आपराधिक म.प्र. क नियम 680(4) के अनुसार संपत्ति के व्ययन के संबंध में आदेश संपत्ति ज्ञापन पर लिखकर ज्ञापन नायब नाजिर मालखाना को भेजा जावे और उसकी अभिस्वीकृति आदेश पत्रिका में ली जाये, अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार संपत्ति का व्ययन किया जाये।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेख समस्त पूर्ति पश्चात नियत समयावधि के भीतर दाखिल रिकॉर्ड किया जावे।

न्या. मजि. प्रथम श्रेणी देपालपुर